— प्रेस नोट —

जनपद-मीरजापुर दिनांक - 05.08.2020

दादा का हत्यारोपी पोता थाना जिगना पुलिस द्वारा गिरफ्तार—

दिनांक 01.08.2020 को थाना जिगना क्षेत्र ग्राम बसेवरा में ओमकारनाथ पुत्र स्व0 चिन्तामणि उम्र लगभग-82 वर्ष निवासी बसेवरा थाना जिगना मीरजापुर को पारिवारिक सम्पति बंटवारे व जमीनी विवाद में उनके पोते द्वारा धारदार हथियार से गर्दन पर मारकर हत्या कर दिया गया था, मृतक के दो पुत्र है बालकृष्ण व रामकृष्ण,जिसमे रामकृष्ण छोटा व बालकृष्ण बड़ा था, मृतक अपने छोटे पुत्र रामकृष्ण के साथ रहता था। इस संबंध में मृतक के छोटे पुत्र रामकृष्ण उर्फ साधू दुबे के तहरीर पर थाना जिगना पर हत्या का अभियोग नामजद 03 अभियुक्त गोलू, शिवम व हिमाशु (मृतक के पोते) पुत्रगण बालकृष्ण निवासी बसेवरा कला थाना जिगना मीरजापुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, उक्त अभियोग में वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में बड़ी कार्यवाही करते प्रभारी निरीक्षक जिगना छोटक यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गोलू उर्फ रवि श्याम दुबे पुत्र बालकृष्ण निवासी बसेवरा कला थाना जिगना मीरजपुर को दिनांक 04.08.2020 को रामपुर घाट के पास समय 16:00 बजे गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कटवासी (फरसा) को अभियुक्त के घर के पीछे तालाब से बरामद कर अभियुक्त को मां0 न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तारी का स्थान व समय—

रामपुर घाट, दिनांक 04.08.2020 समय 16.00 बजे

बरामदगी —

घटना में प्रयुक्त कटवासी (फरसा)

गिरफ्तारी बरमादगी करने वाली पुलिस टीम —

1- प्रभारी निरीक्षक छोटक यादव थाना जिगना मीरजापुर।
2-उ0नि0 हरिकेश सिंह थाना जिगना मीरजापुर।
3-आरक्षी श्यामशेर यादव थाना जिगना मीरजापुर।
4- आरक्षी संजय राजपूत थाना जिगना मीरजापुर।
5-आरक्षी अशरफ खान थाना जिगना मीरजापुर।
6-आरक्षी सत्येंद्र कुमार थाना जिगना मीरजापुर।